प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नियम (16.10.2021 से प्रभावी)

योजना का विवरण :
पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजन है, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर देती है। यह एक वर्ष का कवर है, जिसे प्रति वर्ष नवीकरण करना होता है। इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तावित/प्रशासित किया जाएगा, जो इस उद्देशय के लिए बैंकों के साथ आवश्यक अनुमोदनों और टाइ-अप्स के साथ समान शर्तों पर उत्पाद का प्रस्ताव रखने के इच्छुक हैं। सहभागी बैंक/डाकघर अपने ग्राहकों के लिए योजना का कार्यान्वित करने के लिए ऐसी किसी भी जीवन बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कवरेज क्षेत्र : सहभागी बैंकों में 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत बैंक खाताधारक इसमें शामिल होने के पात्र होगें। किसी व्यक्ति द्वारा एक या अलग-अलग बैंकों में रखे गए कई बैंक खातों के मामले में, व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा।

नामांकन की रूपरेखा/अवधि: यह कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर निर्धारित बैंक खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल होने/भुगतान करने का विकल्प प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक देना होगा। पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर बाद में शामिल होना संभव होगा। हालांकि, आवेदक नामांकन/ऑटो-डेबिट के लिए अनिश्चितकालीन/लंबा विकल्प दे सकते हैं, जो कि पिछले अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तों के अधीन किया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी भी समय पर योजना से बाहर निकलते हैं, वे उपर्युक्त रूपरेखा के माध्यम से भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते है। भविष्य के वर्षों में, पात्र श्रेणी में नए प्रवेशी या वर्तमान में पात्र व्यक्तियों, जो पहले शामिल नहीं हुए या अपनी सदस्यता बंद करनेवाले ऐसे सभी शामिल होने में सक्षम हो जाएंगे, जबकि योजना जारी है।

<u>लाभ :</u> निम्नलिखित सूची के अनुसार:

	लाभ सूची	**बीमा राशि**
ए	मृत्यु	रु. 2 लाख
बी	दोनों आंखों या दोनों हाथ या दोनों पैर या एक आंख की रोशनी खोने एवं हाथ या पैर खोने पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से खो दने पर	रु. 2 लाख
सी	एक आंख, हाथ या पैर पूर्ण रूप से एवं आंशिक की हानि	रु. 1 लाख

<u>प्रीमियम</u>: 12 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाताधार के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। हालांकि, जिन मामलों में 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है, वहां कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तिथि से आरंभ होगी।

वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी। तथापि, अतिविषम अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों को छोड़कर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि पहले तीन वर्षों में प्रीमियम में कोई वृद्धि नहीं की जाए।

पात्रता शर्तें : 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के समीप आयु) के बीच आयु वर्ग के प्रतिभागी बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक, जो उपर्युक्त रूपरेखा के अनुसार ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम होने के लिए अपनी सहमति देते हैं, को इस योजना में नामांकित किया जाएगा।

मास्टर पॉलिसी होल्डर : सहभागी बैंक सहभागी ग्राहकों की ओर से मास्टर पॉलिसी होल्डर होगें। एलआईसी/अन्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभागी ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

आश्वासन की समाप्ति: सदस्य के लिए दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी पर समाप्त हो जाएगा और कोई लाभ वहां देय नहीं होगा:

1) 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के समीप आयु) प्राप्त करने पर।
2) बीमा को प्रभावी रखने के लिए बैंक के पास खाता बंद करने या शेष राशि की अपर्याप्तता।
3) यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक बैंक खाते तक सीमित होगा और डुप्लीकेट बीमा (एस) के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त होगा।

4) यदि बीमा कवर किसी भी तकनीकी कारणों जैसे नियत तिथि पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दों के कारण बंद हो जाता है, तो इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त करने पर पुनःस्थापित किया जा सकता है, जो निर्धारित शर्तों के अधीन किए जा सकते हैं। इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी।

5) सहभागी बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि में कटौती करेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाता है, अधिमानतः हर साल मई में, उस महीने में ही बीमा कंपनी को देय राशि भेज देगा।

प्रशासन : उपर्युक्त के अधीन यह योजना एलआईसी पी एंड जीएस यूनिट/अन्य बीमा कंपनी के द्वारा प्रशासनिस की जाती है। डाटा फ्लो प्रोसेस और डाटा प्रोफार्मा के बारे में अलग से जानकारी दी गई है।

सहभागी बैंक/डाकघर की जिम्मेदारी है कि वह **ऑटो डेबिट प्रक्रिया के माध्यम** से नियत तिथि पर या उससे पहले खाताधारकों से विकल्प के अनुसार एक किस्त में उचित प्रीमियम की वसूली करें।

निर्धारित प्रोफार्मा में नामांकन फार्म/ऑटो-डेबिट प्राधिकरण प्राप्त किया जाएगा और प्रतिभागी बैंक द्वारा रखरखाव किया जाएगा। दावों के मामले में, बीमा कंपनी इसे प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। बीमा कंपनी के पास किसी भी समय इन दस्तावेजों को कॉल करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

पावती पर्ची को बीमा के पावती पर्ची सहित प्रमाणपत्र में बनाया जा सकता है।

योजना के अनुभव की निगरानी पुनःजांच इत्यादि वार्षिक आधार पर की जाएगी, जैसे भी आवश्यक हो।

<u>प्रीमियम का विनियोजन</u> :

1) बीमा कंपनी को देय बीमा प्रीमियम : 12 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य

2) बीमाकर्ता द्वारा व्यवसाय प्रतिनिधि या माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट या कारपोरेट एजेंट या इंशोरेंस एजेंट या बीमा विपणन फर्म: 1 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य

3) बीमाकर्ता द्वारा भाग लेने वाले बैंक को प्रशासनिक खर्च की प्रतिपूर्ति: 1 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष

नोट: इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से खाताधारक द्वारा स्वैच्छिक नामांकन के मामले में सहेजे गए आइटम 2 में निर्दिष्ट व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि को उपभोक्ता को लाभ के रूप में पारित किया जाएगा, तदनुसार आइटम 1 में निर्दिष्ट बीमा प्रीमियम की राशि को कम करके होगा।

इस योजना के आरंभ होने की तिथि 1 जून 2015 है। वार्षिक नवीकरण की तिथि बाद के वर्षों में लगातार 1 जून को होगी।

यदि परिस्थितियों की आवश्यकता होती है तो यह योजना भविष्य के नए नवीकरण की तिथि आरंभ होने से पहले बंद की जा सकती है।